प्रकरण संख्या 40/2015 श्रीमती सावित्रो बनाम नागेन्द्रसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.08.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद घोशणा एवं निशेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सवीनाखेड़ा में आराजी नंबर 297 रकबा 1.2300 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 31 संयुक्त खातेदार हैं। वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड दर्ज अनुसार हिस्सा निहित है। अतः उक्त भूमि का विभाजन कराया जाकर स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे। प्रतिवादीगण द्वारा अलग–अलग जवाबदावे प्रस्तुत किये गये, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 2 तनकियात कायम की गई एवं उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 09.01.2013 को वाद प्रारम्भिक डिक्री किया। तत्प''चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 05.05.2015 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05.05.2015 से रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14.07.2015 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री खेमराज डांगी हुए उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा कोस अपील प्रस्तुत की गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 33 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स''ापथ प्रस्तुत कर देरी के कारणों का उल्लेख किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मुख्य आपत्ति यह ली गयी कि पटवारी द्वारा बंटवारा रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गयी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत को गयी, फिर भी	

पुनः उसी रिपोर्ट को दोहराते हुए न्यायालय में पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने सही मानकर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त की जावे।

वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से अपने कोस आब्जेक्”ान में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में जो आपत्तियां उठायी गयी उन पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है तथा बंटवारा रिपोर्ट कमि”ानर द्वारा तैयार नहीं की गयी है। अतः कोस आब्जेक्”ान स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा हिस्से व कब्जे अनुसार पुनः बंटवारा किया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 की आपत्तियों को विधिवत सुनकर यह माना है कि तहसीलदार गिर्वा द्वारा मौके पर वास्तविक काबिज खातेदारों के अनुसार बंटवाड़ा रिपोर्ट तैयार की गयी है तथा इस आधार पर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति खारिज करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 चाहे तो उसकी जो भूमि सड़क सीमा में चली गयी है है उसके संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय में निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। तद्नुसार अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

जहां तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 द्वारा प्रस्तुत कोस अपील का प्र”ान है, कोस अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 द्वारा लगभग वहीं आपत्तियां उठायी गयी हैं, जो अपीलान्ट द्वारा अपील में उठायी गयी हैं। जब अपीलान्ट की अपील ही सारहीन होने से खारिज योग्य मानी गयी है, तो उसी आधार पर प्रस्तुत कोस अपील भी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 05.05.2015 यथावत रखी जाती है तथा

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 द्वारा प्रस्तुत कोस अपील भी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 40/2015 श्रीमती सावित्रो बनाम नागेन्द्रसिंह व अन्य